सहकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 16

सहकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	889.00	11.00	900.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**889.00**	**11.00**	**900.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98.10	11.00	109.10
1.02 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.90	...	10.90
जोड़- सचिवालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*109.00*	*11.00*	*120.00*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
3. सहकारी ऋण गारंटी निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
4. सहकारी शिक्षा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
5. सहकारी प्रशिक्षण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**106.00**	**...**	**106.00**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39.00	...	39.00
7. वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (बैम्नीकॉम),	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**50.00**	**...**	**50.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**50.00**	**...**	**50.00**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	350.00	...	350.00
9. सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	274.00	...	274.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**624.00**	**...**	**624.00**
कुल जोड़	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***...***	***889.00***	***11.00***	***900.00***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	11.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**11.00**	**11.00**
आर्थिक सेवाएं												
2. सहकारिता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	156.40	...	156.40
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98.10	...	98.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**254.50**	**...**	**254.50**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73.00	...	73.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	561.50	...	561.50
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**634.50**	**...**	**634.50**
कुल जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**889.00**	**11.00**	**900.00**

1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है और इसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय शामिल हैं।

2. **समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी):** यह सहकारिता मंत्रालय की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और अब तक इसकी सभी अनिवार्य गतिविधियों का ख्याल रखती रही है। तथापि, विस्तारित जनादेश के साथ एक नए मंत्रालय के निर्माण के साथ, इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से कई अन्य नई योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तथापि, शेष अनसुलझे देनदारियों की देखभाल के लिए इस बजट शीर्ष के साथ केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

3. **सहकारी ऋण गारंटी निधि:** यह पैक्स एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के ऋणों पर ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए बनाई जा रही नई योजना है।

4. **सहकारी शिक्षा:** इस योजना का उद्देश्य सहकारी शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करना है। यह सहकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान पर भी ध्यान देगा।

5. **सहकारी प्रशिक्षण:** इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा सहकारी प्रशिक्षण संरचना को मजबूत करना और एक नई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण करना है।

6. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी):** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक सोसायटी है। अनुदान सहायता वेतन का प्रावधान है।

7. **वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (बैम्नीकॉम),:** यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह एनसीसीटी के प्रशासनिक दायरे में आता है और वर्तमान में इसकी बजटीय आवश्यकताओं को एनसीसीटी को जारी सहायता अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से अपने स्वयं के बजटीय आवंटन के साथ एक पूर्ण स्वतंत्र संस्थान में बदलने की परिकल्पना की गई है।

8. **प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण:** इस योजना का उद्देश्य 63000 कार्यात्मक पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करना है जिससे पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

9. **सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि:** यह योजना देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उन्हें वित्त, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करने और उन्हें सफल आर्थिक संस्थाओं में बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित कई उप-घटकों के साथ एक छत्रक योजना है: क. पैक्स का पुनर्पूंजीकरण, ख. नए पैक्स के लिए बीज राशि, ग. निष्क्रिय पैक्स का पुनरुद्धार, घ. एफपीओ की तर्ज पर पैक्स का बहु-भूमिका सहकारी समितियों में परिवर्तन, ङ. ब्रांडिंग, विपणन और व्यापार में सहकारी समितियों को सहायता, च. बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी और छ. सहकारी समितियों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण